

11/1/19

कादिमा के अधिवक्ता एव कादिमा स्वयं अनुपस्थित।
 प्रतिवादी सभा। क 7 के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता
 प्रतिवादी। क 7 ने निवेदन किया कि कादिमा एव कादिमा
 के अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। प्रकरण खारिज किया।
 जबकि कादिमा एव उनके अधिवक्ता को अदालत उठने
 तक तीनों कार आवॉले लगवाई गई। परन्तु उस की
 और से कोई अदालत उपस्थित नहीं आया।

अतः प्रकरण अदम हाजिरी अदम फेजवी के खारिज
 किया गया है। मिसल फेसल शुमार होकर नम्बर से
 कम है। वाद दफ्तर दारिखल है।

आदेश आज खुले न्यायालय में युनाया गया। L

(पर्यतसिंह धूणडावत)
 उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
 मसूदा (अजमेर) राज.

